भारतीय जनता पार्टी

(केंद्रीय कार्यालय)
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष–23382234 / 35 फैक्स– 23782163

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा
मंगलवार, 12 फरवरी, 2008 को जारी प्रेस वक्तव्य

भाजपा, कांग्रेस का चुनौती देती है कि वह बताए कि पोटा जैसे सख्त आतंकवाद निरोधी कानून के अभाव में वह आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कार्य योजना बना रही है। हाल ही में उत्तर–प्रदेश से गिरफ्तार लश्करे–तोएबा के 6 आतंकवादी चिंता का कारण है। इन फिदाइनों ने रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप तथा आईआईसी, बंगलौर में हुए हमले में शामिल होने की बात स्वीकार की है। साथ ही इन लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि वे बांबे स्टाक एक्सचेंज तथा चर्च गेट स्टेशन पर हमले की योजना में शामिल थे। इनमें से 3 पाकिस्तानी हैं। लेकिन वर्तमान कानूनों के तहत यह स्वीकारोक्ति न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। जब तक पुलिस कोई ठोस प्रमाण हासिल नहीं कर पाती, तब तक ऐसे मामले निर्णायक नहीं है और ज्यादातर संभावना यह रहती है कि आतंकवादी जेल जाने के बजाय जमानत पर छूट जाएं। कठोर आतंकवाद निरोधी कानूनों के अभाव में, वर्तमान कानूनों के अपर्याप्त प्रावधानों द्वारा ऐसे आतंकवादी संगठनों से प्रभावकारी ढंग से नहीं निपटा जा सकता है। वर्तमान कानून के तहत अपराध–स्वीकारोक्ति मान्य नहीं है तथा आतंकवादी को लंबे समय तक कारावास में नही रखा जा सकता। ऐसे संगठनों के बाह्य समर्थकों (over ground supporter) से कानून प्रभावकारी ढंग से नहीं निपट सकता।

पोटा के तहत हिरासत के दौरान की गई स्वीकारोक्ति न्यायालय में प्रमाण के तौर पर मान्य है। ऐसे आतंकियों को कोर्ट में पेश किए बिना 180 दिन हिरासत में रखा जा सकता है। जांचकर्ता एजेंसी गवाह की पहचान को दबा सकती है। ऐसे संगठनों के समर्थकों से निपटने के लिए पोटा असरकारी था। गौरतलब है कि इन समर्थकों की सहानुभूति के बिना ऐसे मॉड्यूल संचालित नहीं हो सकते। पोटा जैसे कानून के अभाव में एजेंसिया निष्प्रभावी हैं। ऐसे मामलों के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना मुश्किल होता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां आतंकनिरोधी कानून के अभाव में आतंकवादियों द्वारा भारी संख्या में हत्याएं होती हैं।

भारत सरकार को सीमापार आतंकवाद मामले को पाकिस्तान से उठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान स्थित लश्करे–तोएबा के तमाम फिदाइन हाल में हुए आतंकी हमले में शामिल हैं।

कांग्रेसनीत संप्रग सरकार आतंकवाद से कानूनी, राजनैतिक व कूटनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकती, क्योंकि इसकी मानसिकता वोटबैंक की राजनीति में डूबी हुई है। पोटा का निरस्त किया जाना, आतंकियों के आश्रितों को राहत पैकेज और प्रधानमंत्री की संदेहास्पद आतंकी के दर्द में उभरी तथाकथित 'अनिंद्रा' ऐसी मानसिकता को दर्शाते हैं। संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आतंकवाद प्राथमिकता में शामिल नहीं है।

आतंकियों के आश्रितों को राहत पैकेज दिए जाने की सरकारी घोषणा से स्पष्ट है कि आतंकियों को हमारे बहादुर सैनिकों व निरपराध नागरिकों को मारने के बदले में पुरस्कृत किया जा रहा है। विश्व मे ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहां ऐसे परिवारों को मदद की जाती है, जिसके सदस्य देश की एकता को खंडित करते हैं।

(श्याम जाजू)
Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com
कार्यालय प्रभारी